उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

सरफेसी केस नं0–27 / 2020

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा शाखा, बनाम मोतिलाल वर्मा

आदेश

23.9.21

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत श्री मोतिलाल वर्मा, पिता–मोहन प्रसाद स्वर्णकार, ग्राम+पोस्ट–बेहराडीह, जिला–कोडरमा के विरूद्ध सरफेसी वाद दायर किया गया।

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रतिवादी श्री मोतिलाल वर्मा, पिता–मोहन प्रसाद स्वर्णकार द्वारा दिनांक 31.05.2020 को कुल 5,03,663.00 (पाँच लाख तीन हजार छः सौ तिरसठ) रूपये ऋण लिया गया था। ऋण वापसी हेतु बैंक के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया, परन्तु कर्जदार श्री मोतिलाल वर्मा, पिता–मोहन प्रसाद स्वर्णकार द्वारा ऋण भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

बैंक द्वारा बंधक रखी गई खाता संख्या–803, प्लॉट संख्या–6811, रकवा–0.625 डी० की भूमि का Physical Possession लेने हेतु अनुरोध किया गया।

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा धारा–13(2) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस, धारा–13(4) के अन्तर्गत Possession नोटिस एवं समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन की छायाप्रति संलग्न की गई है।

आवेदन का अवलोकन कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 09.07.2020 को वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की गई। दिनांक 09.02.2021, 23.03.2021 एवं 16.09.2021 को अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई के दौरान विपक्षी को स्वंय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेश दिया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त वाद में न हीं जवाब दाखिल किया गया और न उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया, जिससे यह स्पष्ट प्रतित होता है कि विपक्षी को इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं बैंक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना।

बैंक ऑफ बरौदा, कोडरमा शाखा से लिये गये ऋण एवं उधार को चुकता करने हेतु उनके द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई बन्धक सम्पति को कब्जे (Possession) में लेने और इसे Secured Creditor बैंक ऑफ बरौदा, कोडरमा शाखा को अग्रसारित करने के पर्याप्त साक्ष्य एवं

उपायुक्त का न्यायालय

कारण मौजूद है।

अतः SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 धारा 14 (2) के अन्तर्गत इसको कब्जा में लेने और इसे Secured Creditor को अग्रसारित करने का आदेश देता हूँ।

बैंक ऑफ बरौदा, कोडरमा शाखा के पक्ष में बंधक रखी सम्पति को अपने कब्जा में लेकर ऋण एवं उधार के चुकता करने हेतु SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 धारा 14 (1) एवं 14 (2) के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करें।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखाापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय सत्यमेव जयते कोडरमा

उपायुक्त
कोडरमा।

Digitally signed by PARAS NATH YADAV
Date: 2021.10.01 04:29:45 -07:00
Location: 192.168.21.118